



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1947 (श10)

(सं० पटना 1295) पटना, बृहस्पतिवार, 31 जुलाई 2025

परिवहन विभाग

अधिसूचना

30 जुलाई 2025

सं० 06/विविध (दु० दा० न्यायाधिकरण)—08-10/2023/6201—मोटरयान (यथा संशोधित) अधिनियम, 1988 की धारा-165 सह पठित धारा-176 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल द्वारा बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह नियमावली "बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के नियम-20 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-20 निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"20. कतिपय मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना।—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित उपबंध, जहाँ तक संभव हो, दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के कार्यवाहियों पर लागू होंगे अर्थात् आदेश V, नियम 9 से 13 और 15 से 30, आदेश IX, आदेश XIII, नियम 3 से 10, आदेश XVI, नियम 2 से 21, आदेश XVII और आदेश XXIII, नियम 1 से 3, आदेश XXXVIII एवं नियम 1 से 13 लागू होंगे।"

3. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के नियम-22 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-22 निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"22. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में दायर किये जाने वाले दावा वादों पर वादी/प्रतिवादी से किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं ली जायेगी।"

4. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के नियम-25(1), 25(2), 25(3) तथा 25(4) का प्रतिस्थापन।—उक्त नियमावली के नियम-25(1), 25(2), 25(3) तथा 25(4) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"नियम-25(1)—धारा 165 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना उद्भूत प्रतिकर के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा, अर्थात्—

(क) उस व्यक्ति द्वारा, जिसे क्षति हुई है, या

(ख) सम्पत्ति के स्वामी द्वारा, या

- (ग) जब दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, तब मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा, या
- (घ) जिस व्यक्ति को क्षति पहुँची है उसके द्वारा अथवा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा अथवा मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा:

परन्तु जहाँ प्रतिकर के लिए किसी आवेदन में मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए हैं वहाँ यह आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके फायदे के लिए किया जाएगा और जो विधिक प्रतिनिधि ऐसे सम्मिलित नहीं हुए हैं उन्हें आवेदन के प्रत्यर्थियों के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा।

परन्तु यह और कि जहाँ कोई व्यक्ति धारा 149 के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार धारा 164 के अधीन प्रतिकर स्वीकार करता है, वहाँ दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष उसकी दावा याचिका व्यपगत हो जाएगी।”

“नियम-25(2)—उपनियम (1) के अधीन दावेदार के विकल्प पर, दुर्घटना के क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण या दावेदार के निवास या दावेदार के कारबार करने वाले क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की स्थानीय सीमाओं में प्रतिवादी निवास करता है या कारबार करता है या व्यापार करता है को प्रत्येक आवेदन पेश किया जायेगा। आवेदन ऐसे प्रपत्र में होगा तथा उसमें ऐसी विशिष्टियाँ दी जायेंगी जो विहित की जाय।”

“नियम-25(3)—प्रतिकर के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे दुर्घटना के होने से छह मास के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो।”

“नियम-25(4)—धारा 159 के अधीन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को अग्रेषित की गई प्रत्येक रिपोर्ट को इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर हेतु आवेदन माना जायेगा।”

5. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के नियम-26(1) का प्रतिस्थापन।—उक्त नियमावली के नियम-26(1) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

“नियम-26(1)—धारा 166 के अधीन किए गए प्रतिकर के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण बीमाकर्ता को आवेदन की सूचना देने और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् (जिसके अन्तर्गत बीमाकर्ता भी है) यथास्थिति, दावे की या दावों में से प्रत्येक की जाँच करेगा तथा धारा-163 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिनिर्णय देगा जिसमें प्रतिकर की उतनी रकम अवधारित होगी, जितनी उसे न्यायसंगत प्रतीत होती है तथा वह व्यक्ति या वे व्यक्ति विनिर्दिष्ट होंगे जिन्हें प्रतिकर दिया जाएगा, और अधिनिर्णय देते समय दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण वह रकम विनिर्दिष्ट करेगा जो, यथास्थिति, बीमाकर्ता द्वारा या उस यान के, जो दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त था, स्वामी या ड्राइवर द्वारा, अथवा उन सब या उनमें से किसी के द्वारा दी जाएगी।”

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मिहिर कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 30 July 2025

No.-06/Miscellaneous (Tribunal Court)-08-10/2023/6201—In exercise of the powers conferred on the State Government under Section-165 read with Section-176 of the Motor Vehicles (as amended) Act, 1988, the Governor of Bihar is hereby making the following rules to amend the Bihar Motor Vehicle Accidents Claims Tribunal Rules, 1961:-

1. Short title, extent and commencement. (1) These rules may be called the **"Bihar Motor Vehicle Accidents Claims Tribunal (Amendment) Rules, 2025."**

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect after publication in official gazette.

2. Substitution of Rule-20 of the Bihar Motor Vehicle Accidents Claims Tribunal Rules, 1961. Rule-20 of the said Rules shall be substituted as follows:-

"20. Application of Code of Civil Procedure in certain cases. The following provisions of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908, shall, so far as possible, apply to the proceedings of the Accident Claims Tribunal, namely Order V, Rules 9 to 13 and 15 to 30, Order IX, Order XIII, Rules 3 to 10, Order XVI, Rules 2 to 21, Order XVII and Order XXIII, Rules 1 to 3, Order XXXVIII and Rules 1 to 13 shall apply."

3. Substitution of Rule-22 of Bihar Motor Vehicle Accident Claims Tribunal Rules, 1961. Rule 22 of the said Rules shall be substituted as follows:-

"22. No fee of any kind shall be charged from the plaintiff/defendant on the claims filed in the Bihar Motor Vehicle Accident Claims Tribunal."

4. Substitution of rule-25(1), 25(2), 25(3) and 25(4) of Bihar Motor Vehicle Accident Claims Tribunal Rules, 1961. Rule-25(1), 25(2), 25(3) and 25(4) of the said rules shall be substituted as follows:-

"Rule-25(1)-An application for compensation arising out of an accident of the nature specified in sub-section (1) of section 165 may be made by the following, namely-

- (a) by the person who has suffered the injury, or
- (b) by the owner of the property, or
- (c) when death has occurred as a result of the accident, by all or any of the legal representatives of the deceased, or
- (d) by the person who has suffered the injury or by any duly authorised agent or by all or any of the legal representatives of the deceased:

Provided that where an application for compensation has not been joined by all the legal representatives of the deceased, the application shall be made on behalf of or for the benefit of all the legal representatives of the deceased and the legal representatives who have not been so joined shall be impleaded as respondents to the application.

Provided further that where a person accepts compensation under section 164 in accordance with the procedure provided under section 149, his claim petition before the Accidents Claims Tribunal shall lapse."

"Rule-25(2)-Every application under sub-rule (1) shall, at the option of the claimant, be presented to the Accidents Claims Tribunal having jurisdiction over the area of the accident or the Accidents Claims Tribunal having jurisdiction over the area within which the claimant resides or carries on business or trades or to the local limits of the Accidents Claims Tribunal having jurisdiction over the area of the accident. The application shall be in such form and shall contain such particulars as may be prescribed."

"Rule-25(3)-No application for compensation shall be entertained unless it is presented within six months from the occurrence of the accident."

"Rule-25(4)-Every report forwarded to the Accident Claims Tribunal under section 159 shall be deemed to be an application for compensation under this Act."

5. Substitution of Rule-26 (1) of Bihar Motor Vehicle Accidents Claims Tribunal Rules, 1961. Rule-26 (1) of the said rules shall be substituted as follows:-

"Rule-26(1)-On receipt of an application for compensation made under section 166, the Accident Claims Tribunal shall, after giving notice of the application to the insurer and after giving an opportunity of being heard to the parties (including the insurer), inquire into the claim or each of the claims, as the case may be, and shall make an award subject to the provisions of section-163 determining the amount of compensation as it appears to it to be just and specifying the person or persons to whom the compensation shall be paid, and the Accident Claims Tribunal shall, at the time of making the award, specify the amount which shall be paid by the insurer or by the owner or driver of the vehicle involved in the accident or by all or any of them, as the case may be."

*By order of the Governor of Bihar,
Mihir Kumar Singh,
Additional Chief Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 1295-571+10-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>